

No. 1/1/2017-स्था0.तीन/126-29

भारत सरकार
केन्द्रीय जल आयोग
स्थापना-तीन

तीसरी मंजिल,सेवा भवन
रामकृष्ण पुरम,दिल्ली-110066.
दिनांक 16.2.2021.

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केन्द्रीय जल आयोग,
नई दिल्ली ।

महोदय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 235 के अधीन एवं वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 12 (2)/2020 E.II (A) दिनांक 12.10.2020 एवं 20.10.20 के अनुसरण में श्री Sunny Yadav सहायक निदेशक, को वर्ष 2021 (गृह नगर) के बदले में (LTC Cash Voucher) के उपयोग करने पर रूपए 10,000/- (Ten thousand Only) की अग्रिम राशि की, जो उस अनुमानित राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित है, जिसकी आपूर्ति सरकार द्वारा अधिकारी की 12 प्रतिशत एवं अधिक जीएसटी वाले सामान एवं सेवा की खरीदारी पर करनी होगी,की अदायगी के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एतद्वारा प्रेषित की जाती है। अग्रिम का समायोजन अधिकारी के बिल से किया जायेगा ।

2. श्री Sunny Yadav, सहायक निदेशक के परिवार के सदस्यों (LTC Cash Voucher) का लाभ लेने वाले का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

S.N.	Name	elation	Age	Amount	Leave encashment
1	Shri Sunny Yadav	Self	27 वर्ष	Rs.10000/-	No
Total				Rs.10000/-	

- 1 इनका मूल वेतन रू0 61,300/- प्रतिमाह है ।
- 2 श्री Sunny Yadav सहायक निदेशक स्थायी है। अतः इनसे जमानत लेना आवश्यक नहीं है।
- 3 उपरोक्त व्यय मुख्य शीर्ष 2701; 80-General; 80.001- D&A; 01.00.01 वेतन (NP) वित्तीय वर्ष 2020-21 में समायोजित किया जाएगा ।

भवदीया
(सीमा जुनेजा) 16/02/2021
अनुभाग अधिकारी

प्रति प्रेषित :-

- 1 अनुभाग अधिकारी, लेखा- एक अनुभाग, के0 ज0 आ0, नई दिल्ली । (दो प्रतियां पी0एफ0एम0एस0सहित)
 - 2 श्री Sunny Yadav,सहायक निदेशक, (WS&RS) निदेश के0ज0आ0 नई दिल्ली को वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 12 (2)/2020 E-II (A) दिनांक 12.10.2020 का पालन
 - 3 अपलोड के0ज0 आ0 वेबसाइट
- नोट:- बिल लेखा- एक अनुभाग, के0 ज0 आ0,को प्रस्तुत करना होगा ।